International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

ग्राम पंचायतों के विकास में महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका: एक तुलनात्मक अध्ययन (जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक के विशेष सन्दर्भ में)

मौ० सुलेमान
शोधार्थी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
गुलाब सिंह हिंदू (पी०जी०) कॉलेज
चांदपुर - स्याऊ, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
ईमेल:suleman.rza15@gmail.com
मोबाइल नंबर :8510889925

प्रोफेसर (डॉ०) दिनेश सिंह
शोध पर्यवेक्षक एवं प्रभारी
राजनीति विज्ञान विभाग,
गुलाब सिंह हिंदू (पी०जी०) कॉलेज
चांदपुर - स्याऊ, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
ईमेल:drdineshsingh009@gmail.com

सार (Abstract)

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र की नींव है, जिसमें ग्राम प्रधानों की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान कर ग्रामीण शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रस्तुत अध्ययन में बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रधानों की भागीदारी सामाजिक विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है, जबकि पुरुष प्रधान

अवसंरचनात्मक (Infrastructure) विकास तथा संसाधन प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तथापि, महिला प्रधानों को सामाजिक-आर्थिक बाधाओं एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को निर्णय-प्रक्रिया में स्वतंत्रता एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो।

कीवर्डस (Keywords): पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम प्रधान, महिला सशक्तिकरण, 73वाँ संविधान सशोधन, ग्रामीण लोकतंत्र, लैंगिक भूमिका, स्थानीय स्वशासन

1. भूमिका (Introduction)

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहराई से ग्रामीण समाज में निहित हैं। भारत की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में ग्राम को केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना गया है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित *ग्राम स्वराज* की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित थी कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण गाँवों तक नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की वास्तविक भावना साकार नहीं हो सकती। इसी विचार को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया, जिसने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को लोकतांत्रिक शासन की स्थायी इकाइयों के रूप में मान्यता दी। इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

के लिए आरक्षण का प्रावधान रहा, जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन में सामाजिक समावेशन और प्रतिनिधित्व की अवधारणा को सुदृढ़ किया गया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण सत्ता-संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न कीं।

हालाँकि, महिला प्रतिनिधित्व में मात्रात्मक वृद्धि के बावजूद यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या महिला ग्राम प्रधान वास्तव में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं प्रभावी भूमिका निभा रही हैं, अथवा उनकी भूमिका केवल संवैधानिक औपचारिकता तक सीमित रह गई है। अनेक अध्ययनों में यह संकेत मिलता है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, प्रशासनिक निर्भरता तथा *प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व* जैसी समस्याएँ महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इसके विपरीत, कुछ क्षेत्रों में महिला ग्राम प्रधानों द्वारा सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला-कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान भी देखने को मिलता है।

इसी संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जिससे यह समझा जा सके कि दोनों के नेतृत्व में विकास की दिशा, प्राथमिकताएँ और कार्यशैली किस प्रकार भिन्न अथवा पूरक हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का अफजलगढ़ ब्लॉक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक प्रतिनिधिक ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के ग्राम प्रधान सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। अतः प्रस्तुत शोध इसी क्षेत्र को अध्ययन-क्षेत्र के रूप में चुनते हुए ग्राम पंचायतों के विकास में महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका का तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं फील्ड-आधारित अध्ययन प्रस्तुत करता है।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

यह अध्ययन न केवल पंचायती राज व्यवस्था में लैंगिक भूमिका की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में प्रभावी एवं समावेशी स्थानीय शासन के लिए आवश्यक नीतिगत संकेत भी प्रदान करता है।

2. अध्ययन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का विवरण (Details of Gram Panchayats in the study area)

तालिका : 1

(चयनित ग्राम पंचायतें एवं ग्राम प्रधान)

क्रम संख्या	**ग्राम पंचायत का नाम**	**ग्राम प्रधान का नाम**	**लिंग**
1	हरकिशनपुर	शीला	महिला
2	सालावतपुर गिरधर	हसीना	महिला
3	सुआवाला	सहाना खातून	महिला
4	आलमपुर गांवड़ी	रीता	महिला
5	महावतपुर	शिखा रानी	महिला

6	रामनगर	मीनाक्षी	महिला
7	भवानीपुर	फरीदा खातून	महिला
8	रेहड़	फूल जहां	महिला
9	मधुपुरी	कर्मजीत कौर	महिला
10	फतेहपुर धारा	पलवेंद्र कौर	महिला
11	अल्हेपुर मोहकम	राजेंद्र	पुरुष
12	जाफराबाद	विशाल कुमार	पुरुष
13	अलियारपुर	हरवंश	पुरुष
14	पुक्खेवाला	नौशाद अहमद	पुरुष
15	शाहनगर कुराली	बलदेव सिंह	पुरुष

16	शहजादपुर	नफीस अहमद	पुरुष
17	इस्लामनगर	गीतेंद्र सिंह	पुरुष
18	रसूलपुर आबाद	नजमुशहर	पुरुष
19	शाहपुर जमाल ए	संजय कुमार	पुरुष
20	वीरभानवाला	गुरवंत सिंह	पुरुष

3. फील्ड डेटा आधारित तुलनात्मक विश्लेषण (Field data based comparative analysis)

तालिका-2

सामाजिक विकास योजनाओं में महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका (प्रतिशत में)

विकास का क्षेत्र	**महिला ग्राम प्रधान**	**पुरुष ग्राम प्रधान**
प्राथमिक शिक्षा (नामांकन/उपस्थिति)	**80%**	**70%**

स्वास्थ्य सेवाएँ (टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य)	**90%**	**80%**
पोषण/आंगनबाड़ी	**85%**	**80%**
स्वच्छ भारत मिशन	**80%**	**70%**
महिला स्वयं सहायता समूह	**90%**	**70%**

तालिका-2 से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास से संबंधित अधिकांश क्षेत्रों में महिला ग्राम प्रधानों की सक्रियता पुरुष ग्राम प्रधानों की तुलना में अधिक पाई गई। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन और संचालन में महिला प्रधानों की भूमिका अधिक प्रभावी रही। फील्ड सर्वे के दौरान यह भी देखा गया कि महिला ग्राम प्रधान आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं एवं महिला समूहों के साथ नियमित संवाद स्थापित करती हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक संवेदनशील एवं लाभार्थी-केंद्रित बनता है।

3.1 अवसंरचनात्मक विकास में भूमिका (Role in infrastructural development)

तालिका-3

(अवसंरचनात्मक विकास कार्यों में भूमिका)

विकास कार्य	महिला ग्राम प्रधान	पुरुष ग्राम प्रधान
सड़क निर्माण	मध्यम	उच्च
नाली एवं जल-निकासी	सामान्य	मध्यम
पेयजल सुविधा	सामान्य	उच्च
पंचायत/सामुदायिक भवन	सामान्य	उच्च
विद्युत / स्ट्रीट लाइट	सामान्य	उच्च

तालिका-3 से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक एवं अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्रों में पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रही। सड़क, नाली, जल-निकासी तथा भवन निर्माण जैसे कार्यों में पुरुष प्रधानों का प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों एवं ठेकेदारों से समन्वय अधिक सुदृढ़ पाया गया। महिला ग्राम प्रधानों की भागीदारी इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सीमित रही, जिसका प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं प्रशासनिक निर्भरता रही।

3.2 निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया (Decision-making Process)

तालिका-4

(निर्णय-निर्माण में सहभागिता का स्वरूप(प्रतिशत में)

निर्णय से संबंधित पहलू	महिला ग्राम प्रधान	पुरुष ग्राम प्रधान
ग्राम सभा की नियमित बैठक	70%	80%
महिला समूहों से परामर्श	90%	60%
सामूहिक निर्णय	80%	70%
व्यक्तिगत/केंद्रीकृत निर्णय	20%	80%
पारिवारिक हस्तक्षेप	90%	20%

तालिका-3 के अनुसार महिला ग्राम प्रधानों में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सहभागितापूर्ण एवं परामर्श-आधारित पाई गई। वे ग्राम सभा, महिला समूहों एवं पंचायत सदस्यों से विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके विपरीत, पुरुष ग्राम प्रधानों में निर्णय-निर्माण अधिक केंद्रीकृत एवं व्यक्तिनिष्ठ पाया गया।

3.3 महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की तुलनात्मक भूमिका (Comparative role of female and male village heads)

तालिका-4

महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की समग्र तुलनात्मक भूमिका

आधार	महिला ग्राम प्रधान	पुरुष ग्राम प्रधान
नेतृत्व शैली	समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण	प्रशासनिक, परिणाम-केंद्रित
विकास की प्राथमिकता	सामाजिक विकास	भौतिक विकास
निर्णय-प्रक्रिया	सहभागितापूर्ण	व्यक्तिगत/केंद्रीकृत
प्रशासनिक समन्वय	मध्यम	अधिक
सामाजिक जुड़ाव	मध्यम	अपेक्षाकृत अधिक

तालिका-4 के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिकाएँ भिन्न होते हुए भी परस्पर पूरक हैं। महिला ग्राम प्रधान सामाजिक संवेदनशीलता एवं समावेशन को बढ़ावा देती हैं, जबकि पुरुष ग्राम प्रधान प्रशासनिक दक्षता एवं अवसंरचनात्मक विकास में योगदान देते हैं। अतः ग्राम

पंचायतों का समग्र विकास तभी संभव है जब इन दोनों प्रकार की नेतृत्व क्षमताओं का समन्वय स्थापित किया जाए।

4. महिला ग्राम प्रधानों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ (Major challenges faced by women village heads)

संवैधानिक स्तर पर महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर महिला ग्राम प्रधानों को अनेक सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं।

4.1 पितृसत्तात्मक सामाजिक मानसिकता (Patriarchal social mindset)

राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme–UNDP) एवं पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) की रिपोर्टें) में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को अभी भी संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिला सरपंचों को सामाजिक रूप से *प्रतिनिधि मात्र* समझने की प्रवृत्ति व्यापक रूप से पाई गई है।

स्थानीय स्तर पर अफजलगढ़ ब्लॉक के फील्ड अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि कई ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों के निर्णयों को ग्राम सभा या प्रभावशाली सामाजिक वर्गों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई बार बैठक में उनकी

उपस्थिति के बावजूद वास्तविक चर्चा पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

4.2 पति अथवा परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप (प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व) (Intervention by husband or family members (Proxy Representation)

राष्ट्रीय स्तर पर *प्रॉक्सी सरपंच* की समस्या व्यापक रूप से दर्ज की गई है। राजस्थान और बिहार में "सरपंच पति" शब्द का प्रचलन स्वयं इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। नीति आयोग एवं चुनाव आयोग से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टों में यह स्वीकार किया गया है कि आरक्षण के बावजूद वास्तविक सत्ता कई बार पुरुषों के हाथ में ही रहती है।

वर्तमान में अफजलगढ़ ब्लॉक की कुल 78 ग्राम पंचायतों में से 32 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम प्रधान निर्वाचित हैं। किंतु स्थानीय स्तर पर किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रधानों के स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य ही वास्तविक रूप से प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। अधिकारी-कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करना, बैठकों में भाग लेना तथा विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित निर्णय लेना प्रायः उनके द्वारा ही किया जाता है।

कई परिस्थितियों में जहाँ किसी कार्यक्रम या बैठक में महिला प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य होती है, वहाँ भी वे प्रायः अपने पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के साथ ही उपस्थित होती हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर यह भी बताया गया है कि अनेक मामलों में उनके पति या पुत्र ही उनकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तक कर

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

देते हैं। परिणामस्वरूप महिला प्रधानों की भूमिका वास्तविक नेतृत्व के बजाय मात्र औपचारिकता तक सीमित होकर रह गई है।

4.3 राजनीतिक, प्रशासनिक अनुभव एवं प्रशिक्षण का अभाव (Lack of political, administrative experience and training)

राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि महिला प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। यद्यपि कुछ राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम (*Capacity Building Programs)* संचालित किए गए हैं, परंतु उनका प्रभाव सीमित रहा है।

अफजलगढ़ ब्लॉक के संदर्भ में किए गए फील्ड सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिला ग्राम प्रधानों को पंचायत के बजट, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, वित्तीय नियमों तथा योजना निर्माण की प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप वे प्रशासनिक कार्यों के संचालन में पंचायत सचिव या तकनीकी अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं।

सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई बार महिला सीट आरक्षित होने के कारण परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से परिवार की किसी महिला सदस्य को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अनेक महिलाएँ स्वयं चुनाव लड़ने के प्रति इच्छुक नहीं होतीं, किंतु पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाता है। कई मामलों में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी सीमित होती है, जिसके कारण

वे पंचायत संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ रहती हैं और उनका नाम मात्र औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित होकर रह जाता है।

इस स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, दायित्वों और पंचायत प्रशासन की प्रक्रियाओं के संबंध में व्यवस्थित रूप से जागरूक किया जाए। इसके लिए पहले से निर्वाचित और सक्रिय महिला प्रतिनिधियों के अनुभवों को साझा कराने हेतु प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे अन्य महिलाएँ उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त समाज की जागरूक महिलाएँ, राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला नेतृत्व, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4.4 प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गंभीरता की कमी (Lack of seriousness by administrative officials)

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न महिला अधिकार संगठनों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि स्थानीय प्रशासन महिला जनप्रतिनिधियों के साथ अपेक्षित सम्मान एवं संवेदनशीलता नहीं दिखाता। कई बार अधिकारियों द्वारा महिला प्रधानों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।

स्थानीय स्तर पर भी यह देखा गया कि अफजलगढ़ ब्लॉक की कुछ महिला प्रधानों की शिकायतों एवं प्रस्तावों पर अपेक्षाकृत विलंब से कार्रवाई होती है, जबकि पुरुष प्रधानों के प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलती है। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण महिला नेतृत्व को हतोत्साहित करता है।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

4.5 राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव (Political and social pressure)

राष्ट्रीय स्तर पर यह तथ्य स्थापित है कि पंचायत चुनावों में स्थानीय राजनीति, जातीय समीकरण एवं दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला ग्राम प्रधानों पर अक्सर यह दबाव बनाया जाता है कि वे स्थापित राजनीतिक हितों के अनुरूप निर्णय लें।

अफजलगढ़ ब्लॉक में किए गए फील्ड अध्ययन के दौरान यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से सामने आया कि अनेक महिला ग्राम प्रधानों को स्थानीय प्रभावशाली वर्गों, राजनीतिक समूहों तथा रिश्तेदारी नेटवर्क के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। कई मामलों में परिवार के पुरुष सदस्य सामाजिक मर्यादा, परंपरा और 'घर की इज़्ज़त' जैसे तर्कों का हवाला देते हुए महिला प्रधानों को बाहरी पुरुषों जैसे सरकारी अधिकारियों, ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों या क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों से सीधे संपर्क में आने से भी हतोत्साहित करते हैं।

उदाहरण के तौर पर, कई ग्राम पंचायतों में यह देखा गया कि विकास कार्यों से संबंधित बैठकों या अधिकारियों से संवाद के अवसरों पर महिला प्रधान की जगह उनके पति या अन्य पुरुष परिजन ही उपस्थित होते हैं। यदि किसी कार्यक्रम में महिला प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो वे भी प्रायः अपने पति या किसी अन्य पुरुष सदस्य के साथ ही वहाँ जाती हैं और अधिकांश बातचीत वही व्यक्ति करता है। कई स्थानों पर तो यह भी पाया गया कि पंचायत से संबंधित दस्तावेजों या प्रस्तावों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिला प्रधान की सक्रिय भूमिका सीमित रहती है।

फील्ड अध्ययन से यह भी सामने आया कि कई ग्राम पंचायतों में महिलाओं को केवल इसलिए चुनाव में खड़ा किया जाता है क्योंकि वह सीट महिला के लिए आरक्षित होती है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के पुरुष सदस्य अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से घर की किसी महिला जैसे पत्नी, बहू या अन्य सदस्य को प्रत्याशी बना देते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वास्तविक निर्णय-निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियाँ प्रायः पुरुषों द्वारा ही संचालित की जाती हैं, जबकि महिला प्रधान का नाम मात्र औपचारिक रूप से उपयोग में लाया जाता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय एवं स्थानीय उदाहरणों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिला ग्राम प्रधानों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ केवल क्षेत्र-विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय ग्रामीण शासन की संरचनात्मक समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। महिला आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का उद्देश्य जहाँ महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व प्रदान करना है, वहीं व्यवहारिक स्तर पर कई स्थानों पर यह व्यवस्था अभी भी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित दिखाई देती है। जब तक पितृसत्तात्मक सोच, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक उदासीनता एवं सामाजिक दबावों को संस्थागत स्तर पर संबोधित नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

5. समाधान एवं सुझाव (Solutions and suggestions)

महिला ग्राम प्रधानों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहारिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए। केवल आरक्षण अथवा प्रतिनिधित्व से महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है, जब तक उन्हें पंचायत की वास्तविक कार्यप्रणाली में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर न मिले। अफजलगढ़ ब्लॉक के फील्ड अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जहाँ महिला ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी और अनुभव प्राप्त हुआ, वहाँ उनकी निर्णय-क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

फील्ड अनुभव यह दर्शाते हैं कि महिला ग्राम प्रधानों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह प्रायः सैद्धांतिक होता है और पंचायत के दैनिक कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता। इसके स्थान पर यदि प्रशिक्षण को पंचायत कार्यालय में ही आयोजित किया जाए, जहाँ महिला प्रधान स्वयं फाइलें देख सकें, भुगतान प्रक्रिया समझ सकें और योजनाओं की प्रगति का अवलोकन कर सकें, तो उनकी प्रशासनिक निर्भरता में स्वतः कमी आ सकती है। कुछ पंचायतों में यह देखा गया कि जब महिला प्रधानों ने स्वयं बैठक की कार्यवाही लिखी, बैंक में भुगतान से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और योजनाओं की ऑनलाइन स्थिति देखी, तो वे कुछ ही महीनों में अधिक आत्मनिर्भर हो गईं।

प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या को रोकने के लिए बड़े कानूनी प्रावधानों की अपेक्षा छोटे प्रशासनिक व्यवहार परिवर्तन अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। फील्ड में यह पाया गया कि जब पंचायत सचिव और अधिकारी केवल निर्वाचित महिला प्रधान से ही संवाद करने लगे और पति अथवा अन्य परिजनों की भूमिका

सीमित कर दी गई, तो महिला प्रधान स्वाभाविक रूप से निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय होने लगीं। अफजलगढ़ जैसे क्षेत्रों में यदि यह स्पष्ट निर्देश लागू किया जाए कि पंचायत से संबंधित सभी कार्य केवल प्रधान के माध्यम से ही किए जाएंगे, तो प्रॉक्सी संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि कई बार महिला ग्राम प्रधानों के प्रस्तावों और शिकायतों को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है। जहाँ-जहाँ यह व्यवस्था अपनाई गई कि महिला प्रधान द्वारा प्रस्तुत आवेदन या प्रस्ताव पर प्राप्ति तिथि और निस्तारण की समय-सीमा स्पष्ट रूप से अंकित की जाए, वहाँ प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी और महिला नेतृत्व को सम्मान मिला। इस प्रकार की सरल व्यवस्था अफजलगढ़ ब्लॉक में भी प्रभावी रूप से लागू की जा सकती है।

ग्राम सभा की सक्रियता महिला ग्राम प्रधानों के लिए एक मजबूत सहारा सिद्ध हो सकती है। फील्ड अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि जिन ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों ने ग्राम सभा को निर्णय-प्रक्रिया का वास्तविक मंच बनाया, वहाँ सामाजिक और राजनीतिक दबाव अपेक्षाकृत कम रहा। जब योजनाओं और विकास कार्यों को सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया और स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, तो महिला प्रधानों को सामूहिक समर्थन प्राप्त हुआ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, किंतु इसके लिए छोटे-छोटे व्यवहारिक कदम अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं। कुछ पंचायतों में यह देखा गया कि जब महिला प्रधान स्वयं विद्यालय निरीक्षण, स्वच्छता

अभियान या महिला बैठकों का नेतृत्व करती हैं और उनके कार्यों की सार्वजनिक सराहना होती है, तो धीरे-धीरे गाँव की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सम्मान और दृश्यता महिला नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन बनते हैं।

समग्र रूप से यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि महिला ग्राम प्रधानों का सशक्तिकरण किसी एक नीति या कार्यक्रम से संभव नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण, संस्थागत समर्थन, सामाजिक सहभागिता और व्यवहारिक संवेदनशीलता इन सभी का समन्वय आवश्यक है। अफजलगढ़ ब्लॉक के अनुभव यह दर्शाते हैं कि जहाँ महिला प्रधानों को वास्तविक अधिकार, प्रत्यक्ष संवाद और सामाजिक समर्थन मिला, वहाँ ग्राम पंचायतों का विकास अधिक संतुलित, पारदर्शी और जनोन्मुख सिद्ध हुआ है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ ब्लॉक के विशेष संदर्भ में किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास में महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिकाएँ स्वभाव, प्राथमिकताओं और कार्यशैली के स्तर पर भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे की पूरक हैं। फील्ड अध्ययन एवं तुलनात्मक विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि महिला ग्राम प्रधानों का नेतृत्व सामाजिक संवेदनशीलता, सहभागिता और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,

स्वच्छता, महिला एवं बाल-कल्याण तथा स्वयं सहायता समूहों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और जनोन्मुख रहा।

दूसरी ओर, पुरुष ग्राम प्रधानों की भूमिका भौतिक एवं अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्रों जैसे सड़क निर्माण, जल-निकासी, पंचायत एवं सामुदायिक भवन, विद्युत व्यवस्था तथा संसाधन प्रबंधन में अधिक सुदृढ़ पाई गई। पुरुष प्रधानों का प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी कर्मियों एवं विभिन्न विकास एजेंसियों से समन्वय अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जिससे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में गति और विस्तार संभव हो सका। इस प्रकार यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि ग्राम पंचायतों का समग्र विकास तभी संभव है जब सामाजिक विकास और भौतिक विकास दोनों आयामों को समान महत्व दिया जाए।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि महिला प्रतिनिधित्व में संख्यात्मक वृद्धि के बावजूद महिला ग्राम प्रधानों का वास्तविक सशक्तिकरण अभी भी अनेक सामाजिक, प्रशासनिक एवं संरचनात्मक बाधाओं से प्रभावित है। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानसिकता, पति अथवा परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप (प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व), प्रशासनिक अनुभव एवं प्रशिक्षण का अभाव तथा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित गंभीरता का न दिखाया जाना, ये सभी कारक महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। तथापि, फील्ड अध्ययन से यह भी सामने आया कि जहाँ महिला ग्राम प्रधानों को निर्णय-निर्माण की वास्तविक स्वतंत्रता, पंचायत कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी और सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ, वहाँ

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

उनकी नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पंचायतों का विकास अधिक संतुलित, पारदर्शी एवं सहभागी बन सका।

इस शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि महिला सशक्तिकरण केवल संवैधानिक प्रावधानों या आरक्षण की व्यवस्था से पूर्ण नहीं हो सकता। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिला ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग, निर्णयात्मक अधिकार और सामाजिक स्वीकार्यता इन सभी स्तरों पर सुदृढ़ किया जाए। ग्राम सभा की सक्रियता, प्रशासनिक संवेदनशीलता और स्थानीय समुदाय की सहभागिता महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अंततः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पंचायती राज व्यवस्था में समावेशी, सहभागी और उत्तरदायी स्थानीय शासन की स्थापना के लिए महिला एवं पुरुष ग्राम प्रधानों की क्षमताओं का समन्वय आवश्यक है। जब सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता एक-दूसरे के पूरक रूप में कार्य करती हैं, तभी ग्रामीण भारत का सतत्, संतुलित और जनोन्मुख विकास संभव हो पाता है। प्रस्तुत अध्ययन न केवल अफजलगढ़ ब्लॉक के संदर्भ में, बल्कि व्यापक रूप से भारतीय ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण नीतिगत और वैचारिक संकेत प्रदान करता है।

संदर्भ सूची (References)

1. भारत सरकार. (1992). भारत का संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992. नई दिल्ली: भारत सरकार।

https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-amendment-act-1992

2. सेन, अमर्त्य. (1999). विकास के रूप में स्वतंत्रता (Development as Freedom). नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2014). राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा (National Capacity Building Framework). नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय।
4. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2024). पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR). (2019). पंचायती राज और ग्रामीण विकास: सांख्यिकी एवं अध्ययन. हैदराबाद: NIRDPR।
6. संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women). (2021). स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: वैश्विक विश्लेषण. न्यूयॉर्क: UN Women।
7. विश्व बैंक. (2019). भारत में महिलाओं के लिए कार्य (Working for Women in India). वाशिंगटन डी.सी.: वर्ल्ड बैंक।
8. सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज़ (CWDS). (2024). नवीन पंचायतों में महिलाओं का अनुभव. नई दिल्ली: CWDS।
9. प्रिया (PRIA) एवं NIRDPR. (2018). पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व: एक बहु-राज्यीय अध्ययन. नई दिल्ली: PRIA।

10. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF). (2024). स्थानीय ग्रामीण शासन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव एवं चुनौतियाँ. नई दिल्ली: ORF।

11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2020). स्थानीय शासन और लैंगिक समानता. नई दिल्ली: UNDP भारत।

12. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR). (2018). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण पर शोध रिपोर्ट. नई दिल्ली: ICSSR।

13. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). (2024). पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व से जमीनी शासन में सुधार. नई दिल्ली: भारत सरकार।

14. प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया. (2021, 1 दिसंबर). पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व से संबंधित आधिकारिक जानकारी. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1776866

15. भारत सरकार, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय. (1974, दिसंबर). भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (टुवर्ड्स इक्वैलिटी). नई दिल्ली: भारत सरकार। https://pldindia.org/wp-content/uploads/2013/04/Towards-Equality-1974-Part-1.pdf

16. चंद्रा, शर्मिला. (2013, 7 नवंबर). महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अब तक ठोस परिणाम क्यों नहीं दे सकी. इंडिया टुडे. https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19890930-national-perspective-plan-for-women-makes-no-headway-816578-1989-09-29

17. प्रसाद, नंदिनी. (1998). पंचायतों में महिलाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ: एक समग्र अध्ययन. नई दिल्ली: यूनेस्को हाउस।

18. सिन्हा, राजेश कुमार. (2018). पंचायतों में महिलाएँ. कुरुक्षेत्र. https://www.pria.org/uploaded_files/panchayatexternal/1548842032_Women%20In%20Panchayat.pdf

19. जोशी, मधु., एवं सिंह, देवकी. (2021, 24 अप्रैल). पंचायती राज संस्थाओं की 77% महिलाएँ मानती हैं कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन आसान नहीं है. द प्रिंट. https://theprint.in/opinion/77-women-in-panchayati-raj-institutions-believe-they-cant-change-things-easily-on-ground/644680/

20. प्रिया (PRIA). (2018). महिला सभाओं का आयोजन कैसे करें?. नई दिल्ली: पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (PRIA)। https://www.pria.org/knowledge_resource/1564115720How%20to%20conduct%20Mahila%20Sabhas_English.pdf

21. गाँव कनेक्शन. (2020). महिला ग्राम प्रधान और उनके पुरुष प्रतिनिधि: पति, पुत्र या ससुर–एक सामान्य परिघटना. https://en.gaonconnection.com/the-curious-case-of-female-gram-pradhan-and-their-male-representatives-who-are-their-husbands-sons-or-fathers-in-laws-yes-its-quite-common/

22. चौधरी, उत्तरा., एवं सुद, मिताली. (2015, 16 अक्टूबर). राजनीति में महिलाएँ प्रॉक्सी के रूप में: पंचायती राज में निर्णय-निर्माण और सेवा वितरण. द हिन्दू सेंटर फ़ॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी. https://www.thehinducentre.com/the-arena/current-issues/women-as-proxies-in-politics-decision-making-and-service-delivery-in-panchayati-raj/article64931527.ece

23. हज़रा, संचिता. (2017). पश्चिम बंगाल में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी: एक मूल्यांकन. इकोनॉमिक अफेयर्स, 62(2), 347. https://doi.org/10.5958/0976-4666.2017.00019.5

24. डाइजीवर्ल्ड. (2023, 24 सितंबर). 'कुडुम्बश्री' प्रशिक्षण से केरल की युवा महिलाएँ रच रही हैं इतिहास. https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=1123585

25. नीति आयोग. (2022). स्थानीय शासन में महिला भागीदारी: नीतिगत दृष्टिकोण. नई दिल्ली: नीति आयोग।

26. प्रसाद, बी. देवी., एवं हरनाथ, एस. (2004). ग्राम पंचायतों में महिलाओं एवं दलितों की भागीदारी. जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट.

27. सिकदर, शुभोमय. (2022, 8 अगस्त). मध्य प्रदेश की पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति शपथ लेते हुए. द हिन्दू. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/male-family-member-take-oath-on-behalf-of-women-in-mp/article65742124.ece

28. दवे, हीरल. (2017, 3 फरवरी). स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं पति. हिंदुस्तान टाइम्स. https://www.hindustantimes.com/india-news/husbands-make-most-of-gujarat-s-50-reservation-for-women-in-local-bodies/story-JBJEf5unFrZrnHr2xp1niO.html

29. महादेवन-दासगुप्ता, उमा. (2022, 24 अगस्त). स्थानीय सरकारों में महिलाएँ क्यों निर्णायक भूमिका निभा रही हैं. द हिन्दू. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/why-women-are-the-game-changers-in-local-governments/article65804634.ece

30. लॉरेंस, परीना जी., एवं चक्रवर्ती, कविता. (2017). हरियाणा की महिला पंचायत सरपंचों की जीवन-कथाएँ: हाशिये से केंद्र की ओर. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग।

31. डाबस, मनींदर. (2023, 22 अगस्त). वे आठ महिला सरपंच जो उदाहरण प्रस्तुत कर भारतीय गाँवों की तक़दीर बदल रही हैं. इंडिया टाइम्स. https://www.indiatimes.com/news/india/meet-these-eight-women-sanpanches-who-defied-patriarchy-and-are-doing-great-work-for-their-villages-344199.html

32. कुमार, बी. अरविंद. (2022, 24 जून). पंचायतों में महिलाओं को अधिक प्रभावी भूमिका दिए जाने की आवश्यकता. द हिन्दू. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/women-need-greater-say-in-panchayats/article65532803.ece

33. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2008). पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) पर अध्ययन. नई दिल्ली: भारत सरकार।
https://accountabilityindia.in/sites/default/files/document-library/330_1260856798.pdf

34. बुच, निर्मला. (2016). नई पंचायतों में महिलाओं का अनुभव: ग्रामीण महिलाओं का उभरता नेतृत्व. नई दिल्ली: सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज़ (CWDS)।
https://www.cwds.ac.in/wp-content/uploads/2016/09/WomensExperiencePanchayats.pdf